

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3,
प्रति

रायपुर, दिनांक 04/12/2012

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़.


विषय :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2012.

संदर्भ :- इस विभाग के संसख्यक पत्र दिनांक 09.04.2012.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1/3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन कर आरक्षण रोस्टर संबंधी अनुसूची "एक" "दो" एवं "तीन" के स्थान पर नवीन अनुसूची "एक" एवं "दो" प्रतिस्थापित की गई है। जिसकी (छायाप्रति संलग्न) है।

2/ संशोधित आरक्षण रोस्टर अधिसूचना जारी होने के दिनांक 29.11.2012 से प्रभावशील होगा तथा इस तिथि से राज्य स्तरीय एवं संभाग/जिला स्तरीय पदों में की जाने वाली भर्ती (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग) बिन्दु क्रमांक 1 से प्रारम्भ होगी, साथ ही जिन नियुक्तियों के लिये विज्ञापन इस अधिसूचना के पूर्व जारी हो चुके हैं, उनमें यह लागू नहीं होगा।

3/ पूर्व में संधारित रोस्टर बिन्दु दिनांक 29.11.2012 की स्थिति में उक्त रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों को दिनांक 29.11.2012 के पूर्व के रोस्टर में रखते हुए उन पदों को विज्ञापन, जारी करते समय गणना में लेते हुए नियमानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत पूर्ति कर उसी रोस्टर में उनके लिए निर्धारित बिन्दुओं के सामने अंकित किये जाए।



4/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क.एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 04/12/2012

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
6. मान.मुख्यमंत्री जी/मंत्रांगण/राज्य.मंत्रांगण के निज सचिव/निज सहायक, छत्तीसगढ़।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मंत्रालय परिसर, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
13. आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
15. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छ.ग.।
16. अध्यक्ष, जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ0ग0।
17. कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
18. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
19. राज्य सूचना एवं प्राद्योगिकी मंत्रालय रायपुर की ओर वेबसाईट WWW.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।
की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(एम.आर.ठाकुर)

अवरसचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जो. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर 2012—अग्रहायण 8, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 13 एवं धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के खण्ड (1) एवं (2) में, शब्द “अनुसूची—एक, दो और तीन” के स्थान पर, शब्द “अनुसूची—एक और दो” प्रतिस्थापित किये जायें।

2. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“अनुसूची-एक
(नियम 3 देखिये)

सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिए माडल रोस्टर

प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी

अनु.जाति	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.
12%	32%	14%

रोस्टर का बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त व्यक्ति अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है।	रोस्टर का बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त व्यक्ति अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनारक्षित			51	अनारक्षित		
2	अनु.जनजाति			52	अनु. जनजाति		
3	अ.पि.व.			53	अ.पि.व.		
4	अनारक्षित			54	अनारक्षित		
5	अनु. जनजाति			55	अनु. जनजाति		
6	अनु. जाति			56	अनु. जाति		
7	अनारक्षित			57	अनारक्षित		
8	अनु. जनजाति			58	अनु. जनजाति		
9	अनारक्षित			59	अनारक्षित		
10	अ.पि.व.			60	अ.पि.व.		
11	अनारक्षित			61	अनारक्षित		
12	अनु. जनजाति			62	अनु. जनजाति		
13	अनु. जाति			63	अनु. जाति		
14	अनारक्षित			64	अनारक्षित		
15	अनु. जनजाति			65	अनु. जनजाति		
16	अनारक्षित			66	अनारक्षित		
17	अनु. जनजाति			67	अनु. जनजाति		
18	अनारक्षित			68	अनारक्षित		
19	अ.पि.व.			69	अ.पि.व.		

20	अनारक्षित		70	अनारक्षित	
21	अनु. जनजाति		71	अनु. जनजाति	
22	अनु. जाति		72	अनु. जाति	
23	अनारक्षित		73	अनारक्षित	
24	अनु. जनजाति		74	अनु. जनजाति	
25	अनारक्षित		75	अ.पि.व.	
26	अ.पि.व.		76	अनारक्षित	
27	अनु. जनजाति		77	अनु. जनजाति	
28	अनारक्षित		78	अनारक्षित	
29	अनु. जाति		79	अनु. जाति	
30	अनारक्षित		80	अनारक्षित	
31	अनु. जनजाति		81	अनु. जनजाति	
32	अ.पि.व.		82	अ.पि.व. •	
33	अनारक्षित		83	अनारक्षित	
34	अनु. जनजाति		84	अनु. जनजाति	
35	अनारक्षित		85	अनारक्षित	
36	अनु. जनजाति		86	अनु. जनजाति	
37	अनारक्षित		87	अनारक्षित	
38	अनु. जाति		88	अनु. जाति	
39	अनु. जनजाति		89	अनु. जनजाति	
40	अनारक्षित		90	अनारक्षित	
41	अ.पि.व.		91	अ.पि.व.	
42	अनारक्षित		92	अनारक्षित	
43	अनु. जनजाति		93	अनु. जनजाति	
44	अनारक्षित		94	अनारक्षित	
45	अनु. जनजाति		95	अनु. जनजाति	
46	अनु. जाति		96	अनु. जाति	
47	अनारक्षित		97	अनारक्षित	
48	अ.पि.व.		98	अ.पि.व.	
49	अनु. जनजाति		99	अनु. जनजाति	
50	अनारक्षित		100	अनारक्षित	

3. अनुसूची-एक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“अनुसूची-दो
(नियम 3 देखिये)

कार्यालय का नाम.....
संवर्ग का नाम/पद/सेवा का भाग.....
स्वीकृत पदों की कुल संख्या.....
वेतनमान.....

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी

संभाग तथा जिला स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले
पदों/संवर्ग के लिये मॉडल रोस्टर

स. क.	संभाग का नाम	जिलों के नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नियत आरक्षण प्रतिशत	100 बिन्दु रोस्टर में अनु. जन जा./अनु. जा./अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित बिन्दु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एक.	रायपुर संभाग		अनु. जाति 13 प्रतिशत	6,13,20,29,36,43,51,58,65,72,81,88,95
			अनु. जनजाति 17 प्रतिशत	1,9,15,22,27,33,38,45,50,56,63,68,74,79,86,92,99
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,11,18,25,32,40,47,54,61,69,76,83,90,97
1.		जिला रायपुर	अनु. जाति 16 प्रतिशत	3,11,17,23,29,35,43,49,52,60,66,72,78,84, 93,99
			अनु. जनजाति 4 प्रतिशत	1,37,58,87
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	5,13,19,26,32,40,46,55,63,69,75,82,90,96
2.		जिला बलौदा बाजार-भाटापारा	अनु. जाति 10 प्रतिशत	6,16,24,36,44,55,65,74,85,95
			अनु. जनजाति 37 प्रतिशत	1,5,8,10,13,15,18,21,23,27,29,31,34,37,40,42,45,48,51,53,57,59,61,64,67,70,72,75,78, 80,83, 86, 88,91,93,96,99
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,11,19,26,33,39,47,54,62,69,77,82,90,98
3.		जिला गरियाबंद	अनु. जाति 10 प्रतिशत	6,16,24,36,44,55,65,74,85,95
			अनु. जनजाति 37 प्रतिशत	1,5,8,10,13,15,18,21,23,27,29,31,34,37,40,42,45,48,51,53,57,59,61,64,67,70,72,75,78,80,83, 86, 88,91,93,96,99
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,11,19,26,33,39,47,54,62,69,77,82,90,98
4.		जिला महासमुन्द	अनु. जाति 12 प्रतिशत	5,13,22,30,37,45,56,64,71,79,88,96
			अनु. जनजाति 27 प्रतिशत	1,7,9,14,17,20,24,28,32,35,39,43,47,50,54,58,62,65,69,73,77,80,84,87,92,94,99

		अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,11,18,26,33,41,48,53,60,68,75,83,90,98
5.	जिला धमतरी	अनु. जाति 7 प्रतिशत	8,21,36,51,63,78,93
		अनु. जनजाति 26 प्रतिशत	1,6,10,14,17,22,25,29,33,37,42,44,48,53,57,59,65,68,72,76,80,84,87,91,95,99
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,12,19,27,32,40,46,55,61,69,74,82,89,97
6	जिला दुर्ग	अनु. जाति 14 प्रतिशत	5,13,19,28,34,40,48,55,63,69,71,84,90,98
		अनु. जनजाति 6 प्रतिशत	1,23,43,58,73,93
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,11,17,26,32,38,46,53,61,67,76,82,88,96
7.	जिला बेमेतरा	अनु. जाति 17 प्रतिशत	5,10,16,21,27,34,38,44,51,57,63,68,74,80,85,93,99
		अनु. जनजाति 5 प्रतिशत	1,30,49,66,88
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	5,13,19,25,33,41,47,54,60,70,76,82,90,96
8.	जिला बालोद	अनु. जाति 8 प्रतिशत	7,20,30,43,56,69,81,94
		अनु. जनजाति 31 प्रतिशत	1,5,9,12,15,18,22,24,28,31,35,37,41,45,48,50,53,58,60,64,66,71,73,77,79,83,86,89,92,96,99
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,11,17,26,33,39,47,54,62,68,75,84,90,98
9.	जिला राजनादगांव	अनु. जाति 10 प्रतिशत	5,15,23,35,45,56,64,74,86,94
		अनु. जनजाति 27 प्रतिशत	1,7,9,13,17,21,25,29,31,36,39,43,47,50,54,58,62,66,70,72,77,80,84,88,92,95,99
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,11,19,27,33,40,48,53,60,68,76,82,90,97
10.	जिला कबीरधाम	अनु. जाति 13 प्रतिशत	5,12,20,28,35,43,50,58,66,73,81,87,96
		अनु. जनजाति 21 प्रतिशत	1,8,14,16,22,27,31,37,41,45,51,56,60,64,70,74,79,85,89,93,99
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,10,18,25,33,39,47,54,62,68,76,83,91,97
दो.	बिलासपुर संभाग	अनु. जाति 17 प्रतिशत	3,9,16,21,28,33,37,44,50,57,62,68,73,80,85,92,98
		अनु. जनजाति 25 प्रतिशत	1,7,10,14,19,23,26,30,35,39,42,46,51,55,59,63,66,71,75,78,82,87,91,94,99
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	5,12,18,25,32,40,48,53,60,69,76,83,89,96
11.	जिला बिलासपुर	अनु. जाति 16 प्रतिशत	3,9,16,22,28,35,41,48,53,60,66,73,79,85,92,98
		अनु. जनजाति 23 प्रतिशत	1,7,12,15,20,24,29,33,37,43,45,50,56,58,64,68,72,77,81,86,89,94,99
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	5,11,18,26,32,39,47,54,62,69,75,83,90,96
12.	जिला मुंगेली	अनु. जाति 25 प्रतिशत	2,7,10,15,19,22,27,30,35,38,43,46,51,55,58,63,66,71,74,79,82,86,91,94,99
		अनु. जनजाति 11 प्रतिशत	1,14,23,32,41,50,60,69,78,87,96

			अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,11,18,26,33,40,47,54,61,68,75,83,90,97
13.	जिला जांजगीर चांपा		अनु. जाति 23 प्रतिशत	2,7,12,16,20,24,28,34,37,42,46,51,55,59,64,67,73,77,81,85,89,94,99
			अनु. जनजाति 12 प्रतिशत	1,14,22,30,38,45,56,63,71,79,87,96
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,10,18,26,32,40,48,53,61,69,75,83,91,97
14.	जिला रायगढ़		अनु. जाति 14 प्रतिशत	4,12,19,26,33,41,47,55,63,69,76,84,90,98
			अनु. जनजाति 35 प्रतिशत	1,6,8,10,14,16,20,22,24,28,30,34,36,39,42,44,48,51,54,57,59,62,65,67,71,73,77,79,81,85,87,91,93,96,99
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,11,17,25,32,38,46,52,60,68,75,82,89,95
15.	जिला कोरबा		अनु. जाति 10 प्रतिशत	6,15,24,36,48,56,65,74,86,95
			अनु. जनजाति 42 प्रतिशत	1,4,7,9,11,13,16,18,21,23,26,28,30,33,35,38,40,42,44,47,50,51,54,57,59,61,63,66,68,71,73,76,78,80,83,85,88,90,92,94,97,100
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,12,19,27,32,39,48,53,62,69,77,82,89,98
तीन	सरगुजा सभाग		अनु. जाति 5 प्रतिशत	9,31,51,71,93 *
			अनु. जनजाति 55 प्रतिशत	1,3,5,7,8,11,13,14,16,18,20,21,23,25,27,28,30,32,35,36,38,40,42,43,45,47,49,50,52,54,56,58,59,61,63,65,66,69,70,73,74,76,78,80,81,83,85,87,88,90,92,94,96,98,100
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,12,19,24,33,39,46,55,62,68,77,82,89,97
16.	जिला सरगुजा		अनु. जाति 5 प्रतिशत	9,30,50,71,88
			अनु. जनजाति 57 प्रतिशत	1,3,5,7,8,10,12,14,16,17,19,21,22,24,26,28,29,31,33,35,37,38,40,42,43,45,47,49,51,52,54,56,58,59,61,63,64,66,68,70,72,73,75,77,79,80,82,84,85,87,89,91,93,94,96,98,100
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,13,18,25,34,39,46,55,60,67,76,83,90,97
17.	जिला सूरजपुर		अनु. जाति 5 प्रतिशत	9,29,51,72,87
			अनु. जनजाति 45 प्रतिशत	1,4,6,8,11,13,15,17,20,22,23,26,28,31,33,35,37,39,42,44,46,48,50,53,56,57,59,62,64,66,68,70,73,75,78,79,81,84,86,89,91,93,95,97,100
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,12,18,25,34,40,45,54,61,67,76,83,90,98
18.	जिला बलरामपुर-रामानुजगंज		अनु. जाति 4 प्रतिशत	12,36,62,86
			अनु. जनजाति 62 प्रतिशत	1,3,5,6,8,9,11,13,15,16,17,19,21,22,24,25,27,29,30,32,34,35,37,39,40,42,43,45,46,48,50,51,53,55,56,58,59,61,63,65,

				66,67,69,71,72,74,76,77,79,80,82,84,85, 87,89,90,92,93,95,96,98,100
			अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,10,20,26,31,41,47,54,60,70,75,81,91, 97
19	जिला जशपुर	अनु. जाति 5 प्रतिशत		7,28,49,70,91
		अनु. जनजाति 62 प्रतिशत		1,3,5,6,8,10,11,13,14,16,17,19,21,22,24, 25,27,29,31,32,34,35,37,38,40,42,43,45, 46,48,50,52,53,55,56,58,59,61,63,64,66, 67,69,71,73,74,76,77,79,80,82,84,85,87, 88,90,92,94,95,96,98,100
		अ.पि.व.14 प्रतिशत		4,12,18,26,35,39,47,54,60,68,75,83,89, 97
20	जिला कोरिया	अनु. जाति 8 प्रतिशत		7,19,30,44,57,69,80,94
		अनु. जनजाति 44 प्रतिशत		1,4,6,9,11,13,15,17,21,22,24,27,29,31, 34,36,38,41,42,45,47,50,51,54,56,59, 61,63,65,67,71,72,74,77,79,81,84,86,88, 91,92,95,97,100
		अ.पि.व.14 प्रतिशत		3,12,18,26,35,39,48,53,62,68,76,83,89, 98
चार	बस्तर संभाग	अनु. जाति 3 प्रतिशत		14,45,81
		अनु. जनजाति 67 प्रतिशत		1,2,4,6,7,8,10,12,13,15,16,18,19,21,22, 24,25,27,28,30,31,33,34,36,37,38,40,42, 43,44,46,48,50,51,52,53,55,57,58,59,61, 63,64,65,67,68,70,71,73,74,76,77,79,80, 82,84,85,87,88,89,91,93,94,95,97,99,100
		अ.पि.व.14 प्रतिशत		5,11,20,26,32,39,47,56,62,69,75,83,90, 96
21.	जिला बस्तर	अनु. जाति 2 प्रतिशत		21,72
		अनु. जनजाति 63 प्रतिशत		1,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,19,20,22,24, 25,27,29,30,31,33,35,36,38,39,41,44,46, 47,49,50,52,54,55,57,58,60,62,63,65,66, 68,70,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87, 89,90,92,93,95,96,98,100
		अ.पि.व.14 प्रतिशत		4,10,18,26,34,40,48,53,61,67,77,83,91, 96
22.	जिला कोंडागांव	अनु. जाति 4 प्रतिशत		9,36,59,86
		अनु. जनजाति 70 प्रतिशत		1,2,4,6,7,8,10,11,13,14,16,17,18,20,21, 23,24,25,27,28,30,31,33,34,35,37,38,40, 42,43,44,45,47,49,50,51,52,54,56,57, 58,60,61,63,64,66,67,68,70,71,73,74,76, 77,78,80,81,83,84,85,87,88,90,92,93,94, 95,97,99,100
		अ.पि.व.14 प्रतिशत		3,12,19,26,32,41,48,53,62,69,75,82,91, 98
23.	जिला दन्तेवाड़ा	अनु. जाति 4 प्रतिशत		15,36,65,86
		अनु. जनजाति 76 प्रतिशत		1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,21, 22,23,25,26,28,29,30,31,33,34,35,37,38, 39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,53,54,55, 57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,72,

			73,75,76,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,91,92,93,95,96,97,99,100
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,11,19,27,32,40,48,53,61,69,77,82,90,98
24	जिला सुकमा	अनु जाति 2 प्रतिशत	17,73
		अनु जनजाति 84 प्रतिशत	1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99,100
		अ.पि.व. 7 प्रतिशत	9,27,35,53,67,83,92
25	जिला नारायणपुर	अनु जाति 4 प्रतिशत	13,37,64,85
		अनु जनजाति 71 प्रतिशत	1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,38,39,41,42,44,45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,59,60,62,63,65,66,67,69,71,72,73,74,76,77,79,80,81,83,84,86,87,89,90,92,93,94,95,96,99,100
		अ.पि.व. 14 प्रतिशत	3,10,19,26,35,40,47,54,61,68,75,82,91,98
26	जिला बीजापुर	अनु जाति 6 प्रतिशत	7,23,42,59,78,94
		अनु जनजाति 75 प्रतिशत	1, 2, 4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,84,85,86,88,89,91,92,93,95,96,97,99,100
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	3,13,18,26,34,39,47,54,62,67,75,83, 90,98
27	जिला कांकेर	अनु जाति 4 प्रतिशत	9,36,59,86
		अनु जनजाति 56 प्रतिशत	1,3,5,7,8,10,12,14,16,17,20,21,23,24,27,28,30,31,34,35,37,39,41,43,44,46,48,50,51,53,55,57,58,60,62,64,66,67,70,71,73,74,77,78,80,81,84,85,87,89,91,93,94,96,98,100
		अ.पि.व.14 प्रतिशत	4,13,19,26,32,40,47,54,63,69,76,82,90,97

4 उपरोक्त मॉडल रोस्टर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन/सदन कार्यालय के लिये भी लागू होंगे।

5 यह सशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव।

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 29th November 2012

NOTIFICATION

No. F 13-14/2009/R.C./1-3.— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of Section 4 and Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In clause (1) and (2) of Rule 3, for the words and figures "Schedule I, II and III", the words and figures "SCHEDULE-I and II" shall be substituted.
2. For SCHEDULE-I, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I
(See Rule-3)

Model Roster for the post /cadre to be filled by direct recruitment at State Level

CLASS I, II, III and IV

SC	ST	OBC
12%	32%	14%

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the person appointed and date of appointment	Whether the person appointed is member of SC/ST/ OBC category	Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the person appointed and date of appointment	Whether the person appointed is member of SC/ST/ OBC category
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unreserved			51.	Unreserved		
2.	Scheduled Tribe			52.	Scheduled Tribe		

3.	Other Backward Classes			53.	Other Backward Classes		
4.	Unreserved			54.	Unreserved		
5.	Scheduled Tribe			55.	Scheduled Tribe		
6.	Scheduled Caste			56.	Scheduled Caste		
7.	Unreserved			57.	Unreserved		
8.	Scheduled Tribe			58.	Scheduled Tribe		
9.	Unreserved			59.	Unreserved		
10.	Other Backward Classes			60.	Other Backward Classes		
11.	Unreserved			61.	Unreserved		
12.	Scheduled Tribe			62.	Scheduled Tribe		
13.	Scheduled Caste			63.	Scheduled Caste		
14.	Unreserved			64.	Unreserved		
15.	Scheduled Tribe			65.	Scheduled Tribe		
16.	Unreserved			66.	Unreserved		
17.	Scheduled Tribe			67.	Scheduled Tribe		
18.	Unreserved			68.	Unreserved		
19.	Other Backward Classes			69.	Other Backward Classes		
20.	Unreserved			70.	Unreserved		
21.	Scheduled Tribe			71.	Scheduled Tribe		
22.	Scheduled Caste			72.	Scheduled Caste		
23.	Unreserved			73.	Unreserved		
24.	Scheduled Tribe			74.	Scheduled Tribe		
25.	Unreserved			75.	Other Backward Classes		
26.	Other Backward Classes			76.	Unreserved		
27.	Scheduled Tribe			77.	Scheduled Tribe		
28.	Unreserved			78.	Unreserved		
29.	Scheduled Caste			79.	Scheduled Caste		
30.	Unreserved			80.	Unreserved		
31.	Scheduled Tribe			81.	Scheduled Tribe		

32.	Other Backward Classes			82.	Other Backward Classes		
33.	Unreserved			83.	Unreserved		
34.	Scheduled Tribe			84.	Scheduled Tribe		
35.	Unreserved			85.	Unreserved		
36.	Scheduled Tribe			86.	Scheduled Tribe		
37.	Unreserved			87.	Unreserved		
38.	Scheduled Caste			88.	Scheduled Caste		
39.	Scheduled Tribe			89.	Scheduled Tribe		
40.	Unreserved			90.	Unreserved		
41.	Other Backward Classes			91.	Other Backward Classes		
42.	Unreserved			92.	Unreserved		
43.	Scheduled Tribe			93.	Scheduled Tribe		
44.	Unreserved			94.	Unreserved		
45.	Scheduled Tribe			95.	Scheduled Tribe		
46.	Scheduled Caste			96.	Scheduled Caste		
47.	Unreserved			97.	Unreserved		
48.	Other Backward Classes			98.	Other Backward Classes		
49.	Scheduled Tribe			99.	Scheduled Tribe		
50.	Unreserved			100.	Unreserved"		

3. After SCHEDULE-I, the following shall be added, namely:-

"SCHEDULE-II
(See Rule 3)

Name of the Office-----
 Name of Cadre/Post/Part of the Service-----
 Total Number of the Post sanctioned-----
 Pay Scale-----

18
9611

18
9611

Class-III and IV

**Model Roster for the post /cadre to be filled by direct recruitment at
Division and District Level**

S. No.	Name of Division	Name of Districts	Percentage of reservation fixed for SC/ST/OBC category	Reserved point in 100 point roster for Scheduled Tribes/Scheduled Castes/Other Backward Classes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Raipur Division		SC 13 %	6,13,20,29,36,43,51,58,65,72,81,88,95
			ST 17 %	1,9,15,22,27,33,38,45,50,56,63,68,74,79,86,92,99
			OBC 14 %	4,11,18,25,32,40,47,54,61,69,76,83,90,97
1.		DISTRICT RAIPUR	SC 16 %	3,11,17,23,29,35,43,49,52,60,66,72,78,84,93,99
			ST 4 %	1,37,58,87
			OBC 14 %	5,13,19,26,32,40,46,55,63,69,75,82,90,96
2.		DISTRICT BALODA BAJAR- BHATAPARA	SC 10 %	6,16,24,36,44,55,65,74,85,95
			ST 37 %	1,5,8,10,13,15,18,21,23,27,29,31,34,37,40,42,45,48,51,53,57,59,61,64,67,70,72,75,78,80,83,86,88,91,93,96,99
			OBC 14 %	3,11,19,26,33,39,47,54,62,69,77,82,90,98
3.		DISTRICT GARIYABAND	SC 10 %	6,16,24,36,44,55,65,74,85,95
			ST 37 %	1,5,8,10,13,15,18,21,23,27,29,31,34,37,40,42,45,48,51,53,57,59,61,64,67,70,72,75,78,80,83,86,88,91,93,96,99
			OBC 14 %	3,11,19,26,33,39,47,54,62,69,77,82,90,98
4.		DISTRICT MAHASAMUND	SC 12 %	5,13,22,30,37,45,56,64,71,79,88,96
			ST 27 %	1,7,9,14,17,20,24,28,32,35,39,43,47,50,54,58,62,65,69,73,77,80,84,87,92,94,99
			OBC 14 %	3,11,18,26,33,41,48,53,60,68,75,83,90,98
5.		DISTRICT DHAMTARI	SC 7 %	8,21,36,51,63,78,93
			ST 26 %	1,6,10,14,17,22,25,29,33,37,42,44,48,53,57,59,65,68,72,76,80,84,87,91,95,99
			OBC 14 %	4,12,19,27,32,40,46,55,61,69,74,82,89,97
6.		DISTRICT DURG	SC 14 %	5,13,19,28,34,40,48,55,63,69,71,84,90,98
			ST 6 %	1,23,43,58,73,93
			OBC 14 %	3,11,17,26,32,38,46,53,61,67,76,82,88,96
7.		DISTRICT BEMETARA	SC 17 %	5,10,16,21,27,34,38,44,51,57,63,68,74,80,85,93,99
			ST 5 %	1,30,49,66,88
			OBC 14 %	5,13,19,25,33,41,47,54,60,70,76,82,90,96,

8.		DISTRICT BALOD	SC 8 %	7,20,30,43,56,69,81,94
			ST 31 %	1,5,9,12,15,18,22,24,28,31,35,37,41,45,48, 50,53,58,60,64,66,71,73,77,79,83,86,89,92, 96,99
			OBC 14 %	3,11,17,26,33,39,47,54,62,68,75,84,90,98
9.		DISTRICT RAJNANDGAON	SC 10 %	5,15,23,35,45,56,64,74,86,94
			ST 27 %	1,7,9,13,17,21,25,29,31,36,39,43,47,50,54, 58,62,66,70,72,77,80,84,88,92,95,99
			OBC 14 %	4,11,19,27,33,40,48,53,60,68,76,82,90,97
10.		DISTRICT KABIRDHAM	SC 13 %	5,12,20,28,35,43,50,58,66,73,81,87,96
			ST 21 %	1,8,14,16,22,27,31,37,41,45,51,56,60,64,70, 74,79,85,89,93,99
			OBC 14 %	4,10,18,25,33,39,47,54,62,68,76,83,91,97
II.	BILASPUR DIVISION		SC 17 %	3,9,16,21,28,33,37,44,50,57,62,68,73,80,85, 92,98
			ST 25 %	1,7,10,14,19,23,26,30,35,39,42,46,51,55,59, 63,66,71,75,78,82,87,91,94,99
			OBC 14 %	5,12,18,25,32,40,48,53,60,69,76,83,89,96
11.		DISTRICT BILASPUR	SC 16 %	3,9,16,22,28,35,41,48,53,60,66,73,79,85,92,98
			ST 23 %	1,7,12,15,20,24,29,33,37,43,45,50,56,58,64, 68,72,77,81,86,89,94,99
			OBC 14 %	5,11,18,26,32,39,47,54,62,69,75,83,90,96
12.		DISTRICT MUNGELI	SC 25 %	2,7,10,15,19,22,27,30,35,38,43,46,51,55,58, 63,66,71,74,79,82,86,91,94,99
			ST 11 %	1,14,23,32,41,50,60,69,78,87,96
			OBC 14 %	4,11,18,26,33,40,47,54,61,68,75,83,90,97
13.		DISTRICT JANJIR- CHAMPA	SC 23 %	2,7,12,16,20,24,28,34,37,42,46,51,55,59,64, 67,73,77,81,85,89,94,99
			ST 12 %	1,14,22,30,38,45,56,63,71,79,87,96
			OBC 14 %	4,10,18,26,32,40,48,53,61,69,75,83,91,97
14.		DISTRICT RAIGARH	SC 14 %	4,12,19,26,33,41,47,55,63,69,76,84,90,98
			ST 35 %	1,6,8,10,14,16,20,22,24,28,30,34,36,39, 42,44,48,51,54,57,59,62,65,67,71,73,77, 79,81,85,87,91,93,96,99
			OBC 14 %	3,11,17,25,32,38,46,52,60,68,75,82,89,95
15.		DISTRICT KORBA	SC 10 %	6,15,24,36,48,56,65,74,86,95
			ST 42 %	1,4,7,9,11,13,16,18,21,23,26,28,30,33,35,38, 40,42,44,47,50,51,54,57,59,61,63,66,68,71, 73,76,78,80,83,85,88,90,92,94,97,100
			OBC 14 %	3,12,19,27,32,39,48,53,62,69,77,82,89,98
III.	SARGUJA DIVISION		SC 5 %	9,31,51,71,93
			ST 55 %	1,3,5,7,8,11,13,14,16,18,20,21,23,25,27, 28,30,32,35,36,38,40,42,43,45,47,49,50, 52,54,56,58,59,61,63,65,66,69,70,73,74, 76,78,80,81,83,85,87,88,90,92,94,96,98,100
			OBC 14 %	3,12,19,27,32,39,48,53,62,69,77,82,89,98

			OBC 14 %	4,12,19,24,33,39,46,55,62,68,77,82,89,97
16.		DISTRICT SARGUJA	SC 5 %	9,30,50,71,88
			ST 57 %	1,3,5,7,8,10,12,14,16,17,19,21,22,24,26,28,29,31,33,35,37,38,40,42,43,45,47,49,51,52,54,56,58,59,61,63,64,66,68,70,72,73,75,77,79,80,82,84,85,87,89,91,93,94,96,98,100
			OBC 14 %	4,13,18,25,34,39,46,55,60,67,76,83,90,97
17.		DISTRICT SURAJPUR	SC 5 %	9,29,51,72,87
			ST 45 %	1,4,6,8,11,13,15,17,20,22,23,26,28,31,33,35,37,39,42,44,46,48,50,53,56,57,59,62,64,66,68,70,73,75,78,79,81,84,86,89,91,93,95,97,100
			OBC 14 %	3,12,18,25,34,40,45,54,61,67,76,83,90,98
18.		DISTRICT BALRAMPUR - RAMANUJ GANJ	SC 4 %	12,36,62,86
			ST 62 %	1,3,5,6,8,9,11,13,15,16,17,19,21,22,24,25,27,29,30,32,34,35,37,39,40,42,43,45,46,48,50,51,53,55,56,58,59,61,63,65,66,67,69,71,72,74,76,77,79,80,82,84,85,87,89,90,92,93,95,96,98,100
			OBC 14 %	4,10,20,26,31,41,47,54,60,70,75,81,91,97
19.		DISTRICT JASHPUR	SC 5 %	7,28,49,70,91
			ST 62 %	1,3,5,6,8,10,11,13,14,16,17,19,21,22,24,25,27,29,31,32,34,35,37,38,40,42,43,45,46,48,50,52,53,55,56,58,59,61,63,64,66,67,69,71,73,74,76,77,79,80,82,84,85,87,88,90,92,94,95,96,98,100
			OBC 14 %	4,10,20,26,31,41,47,54,60,70,75,81,91,97
20.		DISTRICT KORIIYA	SC 8 %	7,19,30,44,57,69,80,94
			ST 44 %	1,4,6,9,11,13,15,17,21,22,24,27,29,31,34,36,38,41,42,45,47,50,51,54,56,59,61,63,65,67,71,72,74,77,79,81,84,86,88,91,92,95,97,100
			OBC 14 %	3,12,18,26,35,39,48,53,62,68,76,83,89,98
IV.	BASTAR DIVISION		SC 3 %	14,45,81
			ST 67 %	1,2,4,6,7,8,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,30,31,33,34,36,37,38,40,42,43,44,46,48,50,51,52,53,55,57,58,59,61,63,64,65,67,68,70,71,73,74,76,77,79,80,82,84,85,87,88,89,91,93,94,95,97,99,100
			OBC 14 %	5,11,20,26,32,39,47,56,62,69,75,83,90,96
21.		DISTRICT BASTAR	SC 2 %	21,72
			ST 63 %	1,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,19,20,22,24,25,27,29,30,31,33,35,36,38,39,41,44,46,47,49,50,52,

				54,55,57,58,60,62,63,65,66,68,70,71,73,74, 76,78,79,81,82,84,86,87,89,90,92,93,95,96, 98,100
			OBC 14 %	4,10,18,26,34,40,48,53,61,67,77,83,91,96
22.		DISTRICT KONDAGAON	SC 4 %	9,36,59,86
			ST 70 %	1,2,4,6,7,8,10,11,13,14,16,17,18,20,21,23,24, 25,27,28,30,31,33,34,35,37,38,40,42,43,44,45, 47,49,50,51,52,54,56,57,58,60, 61,63,64,66,67,68,70,71,73,74,76,77,78, 80,81,83,84,85,87,88,90,92,93,94,95,97, 99,100
			OBC 14 %	3,12,19,26,32,41,48,53,62,69,75,82,91,98
23.		DISTRICT DANTEWADA	SC 4 %	15,36,65,86
			ST 76 %	1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22, 23,25,26,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,41, 42,43,45,46,47,49,50,51,53,54,55,57,58,59, 60,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,78, 79,80,81,83,84,85,87,88,89,91,92,93,95,96, 97,99,100
			OBC 14 %	3,11,19,27,32,40,48,53,61,69,77,82,90,98
24.		DISTRICT SUKMA	SC 2 %	17,73
			ST 84 %	1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20, 21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,38, 39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55, 56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71, 72,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88, 89,90,91,93,94,95,97,98,99,100
			OBC 7 %	9,27,35,53,67,83,92
25.		DISTRICT NARAYANPUR	SC 4 %	13,37,64,85
			ST 71 %	1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,16,17,18,20,21,22,24, 25,27,28,29,31,32,34,35,36,38,39,41,42,44, 45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,59,60,62,63, 65,66,67,69,71,72,73,74,76,77,79,80,81,83, 84,86,87,89,90,92,93,94,95,96,99,100
			OBC 14 %	3,10,19,26,35,40,47,54,61,68,75,82,91,98
26.		DISTRICT BIJAPUR	SC 6 %	7,23,42,59,78,94
			ST 75 %	1,2,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22, 24,25,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,40,41, 43,44,45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,58,60, 61,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,76,77,79, 80,81,82,84,85,86,88,89,91,92,93,95,96,97, 99,100
			OBC 14 %	3,13,18,26,34,39,47,54,62,67,75,83,90,98

27.	DISTRICT KANKER	SC 4 %	9,36,59,86
		ST 56 %	1,3,5,7,8,10,12,14,16,17,20,21,23,24,27,28, 30,31,34,35,37,39,41,43,44,46,48,50,51,53, 55,57,58,60,62,64,66,67,70,71,73,74,77,78, 80,81,84,85,87,89,91,93,94,96,98,100
		OBC 14 %	4,13,19,26,32,40,47,54,63,69,76,82,90,97

4. Above Model Roster shall also be applicable to the office of Chhattisgarh Bhawan/ Sadan at New Delhi.
5. This amendment shall be effective from the date of issue of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3,
प्रति

नया रायपुर, दिनांक 25/04/2013

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़.


विषय :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2012.

संदर्भ :- इस विभाग के संसख्यक पत्र दिनांक 09.04.2012 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 04.12.2012

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1/3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर आरक्षण रोस्टर संबंधी अनुसूची "दो" प्रतिस्थापित की गई है। उक्त अधिसूचना का संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/ आ.प्र./1/3, दिनांक 15.01.2013 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

2/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3,
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 25/04/2013

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर।

6. माननीय मंत्रीगण/राज्य.मंत्रीगण/संसदीय सचिव के निज सचिव/निज सहायक, छत्तीसगढ़।
 7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
 8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
 9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 12. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
 14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
 15. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छ.ग.।
 16. अध्यक्ष, जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ0ग0।
 17. कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
 18. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़।
 19. राज्य सूचना एवं प्राद्योगिकी मंत्रालय रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट WWW.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


25/4/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2013—माघ 3, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ.13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-दो में,—

1. सरल क्रमांक 21 के कॉलम (4) की प्रविष्टि “अनु. जनजाति 63 प्रतिशत” के सामने, कॉलम (5) के अंक “41”, के पश्चात्, अंक एवं अल्प विराम “43,” अन्तःस्थापित किया जाए.
2. सरल क्रमांक 21 के कॉलम (4) की प्रविष्टि “अ.पि.व. 14 प्रतिशत” के सामने, कॉलम (5) के अंक “96” के स्थान पर, अंक “97” प्रतिस्थापित किया जाए.
3. सरल क्रमांक 24 के कॉलम (4) की प्रविष्टि “अनु. जनजाति 84 प्रतिशत” के सामने, कॉलम (5) के अंक “36,” के पश्चात्, अंक एवं अल्प विराम “37,” अन्तःस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 15 जनवरी, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव।

Raipur, the 15th January 2013

NOTIFICATION

No. F 13-14/2009/R.C./1-3.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of Section 4 and Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule-II of the said rules,—

1. After the figure "41," of column (5) of serial number 21, against entry "ST 63%" of column (4), the figure and comma "43," shall be inserted.
2. For the figure "96" of column (5) of serial number 21, against entry "OBC 14%" of column (4), the figure "97" shall be substituted.
3. After the figure "36," of column (5) of serial number 24, against entry "ST 84%" of column (4), the figure and comma "37," shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.